(भारत का राजपत्र, असाधारण के भाग-III खंड 4 में प्रकाशनार्थ)

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

जी संख्या 164 नई दिल्ली 16 अगस्त, 2007

अधिसूचना

महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण, राष्ट्रीय राजमार्ग-5 से विशाखापत्तनम् पत्तन को जोड़ने वाले नवनिर्मित जोड़ मार्ग / उड्डान पुलों के लिए सड़क कर निर्धारण हेतु विशाखापत्तनम् पोर्ट रोड कम्पनी लिमिटेड से प्राप्त प्रस्ताव को एतत् द्वारा संलग्न आदेशानुसार अनुमोदन प्रदान करती है ।

(अ.ल. बोंगिरवार)

अध्यक्ष

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

प्रकरण सं. टीएएमपी /47/2006-वीपीआरसीएल

विशाखापत्तनम् पत्तन मार्ग कम्पनी लिमिटेड --- आवेदक

आ दे श

(अगस्त 2007 के 7 वें दिन पारित)

यह प्रकरण विशाखापत्तनम् पत्तन को राष्ट्रीय राजमार्ग-5 से जोड़ने वाले नवनिर्मित जोड़मार्ग / उड्डान पुलों के लिए सड़क-कर निर्धारण करने हेतु विशाखापत्तनम् पोर्ट रोड कम्पनी लिमिटेड से 8 नवम्बर 2006 को प्राप्त प्रस्ताव से संबंधित है।

2.1. दिसम्बर 2000 में सीसीईए द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (रा.रा.वि.परि.) चरण-I में अन्य बातों के साथ महापत्तनों को सड़क मार्गों से जोड़ना भी शामिल है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भा.रा.रा.प्रा.) द्वारा विशाखापत्तनम् पत्तन से राष्ट्रीय राजमार्ग-5 तक योजकता विकसित करने के लिए पत्तन-मार्ग योजकता परियोजना हाथ में ली गई है। तदनुसार, कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत, विशाखापत्तनम् पत्तन न्यास और भा.रा.रा.प्राधि. के संयुक्त उपक्रम के रूप में एक विशेष प्रयोजन निकाय (एसपीवी) विशाखापत्तनम् पत्तन रोड कम्पनी लिमिटेड (वीपीआरसीएल) की दिनांक 26 दिसम्बर 2000 को स्थापना की गई थी।

2.2. कथित पत्तन सड़क योजकता परियोजना को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से 8 नवम्बर 2006 को विशाखापत्तनम् पत्तन न्यास (वीपीटी) और वीपीआरसीएल ने एक रियायती करार (कन्सेशन एग्रीमेंट) पर हस्ताक्षर किए थे। इस रियायती करार के अनुसार वीपीआरसीएल सड़क योजकता (सड़क मार्ग) के डिजाइन, इंजीनियरिंग, खरीद निर्माण, प्रचालन और अनुरक्षण का काम हाथ में लेगा और इसके साथ ही उसे इस परियोजना का उपयोग करने वालों से उसका शुल्क (टोल) मांगने / प्राप्त करने तथा विनियोजित करने का एक मात्र और अनन्य अधिकार होगा।

2.3. प्रस्ताव की प्रमुख बातें निम्नानुसार हैं :-

(i) सड़क योजकता परियोजना जून 2002 में आरंभ हुई और इसके दिसंबर 2006 तक यातायात के लिए खुल जाने की संभावना है।

(ii) पत्तन योजकता सड़क परियोजना में लगभग 12.5 कि.मीटर में उड्डान पुल (फ्लाई ओवर) रैम्प्स और भुमितल पर (निर्मित) सड़क इत्यादि समाहित हैं।

(iii) वीपीआरसीएल ने बताया है कि परियोजना की कुल लागत, जैसाकि आईडीएफसी द्वारा तैयार रिपोर्ट में बताया गया है, 93.8 करोड़ रूपयों से बढ़कर 114 करोड़ रूपये हो गई है।

(iv) इस परियोजना के विकास की परिकल्पना पत्तन क्षेत्र से राष्ट्रीय राजमार्ग-5 तक पत्तन यातायात की शीघ्र निकासी हेतु सीधा मार्ग प्रदान करने और सड़कों पर आने वाले रेल्वे क्रासिंग की रूकावटों तथा राष्ट्रीय राजमार्ग-5 से जोड़ने वाली वर्तमान सड़कों पर अनुभव की गई यातायात की भीड़भाड़ से रहित निर्बाध यातायात प्रवाह प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। कथित पत्तन योजकता सुविधा शहर के भीतर और औद्योगिक क्षेत्रों में प्रचालित और यह जनता के वाहन संबंधी यातायात तथा पत्तन के कार्गो यातायात की आवश्यकता को भी पूरा करेगी।

(v) परियोजना के लिए वित्तीय सलाहकार के रूप में नियुक्त मेसर्स आईडीएफसी ने 2003 में, परियोजना की वित्तीय व्यवहार्यता पर अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। उन्होंने कार / जीप / वैन के लिए रू. 10/-, हल्के भार वाही वाहनों के लिए रू. 20/- बसों / ट्रकों के लिए रू. 40/- और एमए वाहनों के लिए रू. 60/- टोल / सड़क-मार्गशुल्क की सिफारिश की है।

(vi) भा.रा.रा.प्राधि. ने भी पत्तन योजकता परियोजना पर एक विस्तृत यातायात सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार की है और विस्तृत गणना और रिपोर्ट के साथ टोल-ढांचा (टोल का स्वरूप) भी सुझाया है ।

2.4. तदनुसार, वीपीआरसीएल द्वारा प्रभारित किए जाने हेतु प्रस्तावित टोल निम्नानुसार है :-

(i) टोल, निम्नलिखित दो स्थानों पर लगाए जाने के लिए प्रस्तावित है :-

(क) टोल प्लाजा 1 : राष्ट्रीय राजमार्ग-5 पर अयप्पन मंदिर जंक्शन के निकट मुख्य टोल प्लाजा।

(ख) टोल प्लाजा 2 : औद्योगिक बाई-पास पर दूसरा टोल-प्लाजा।

(ii) प्रस्तावित टोल ढांचा और प्रस्तावित रियायत नीचे सारणीबद्ध दिए गए हैं :-

(क) प्रस्तावित टोल

(रूपयों में)

क्रम सं.	वाहनों का वर्ग / श्रेणी	मुख्य टोल प्लाजा के लिए प्रस्तावित दर	द्वितीयक टोल प्लाज़ा के लिए प्रस्तावित दर
(i)	कार / जीप / वैन	9	5
(ii)	हल्के भारवाही वाहन (एलसीवी)	17	9
(iii)	ट्रक / बस	33	18
(iv)	एमएवी (3 से 6 धुरियों वाले)/ एचसीएम / ईएमई	54	28
(v)	अत्यधिक बड़े आकार के वाहन (सात या उससे अधिक धुरी वाले)	66	35

(ख) प्रस्तावित रियायतें :-

क्रम सं.	पास	रियायत
1.	मासिक	माह में 50 एकल यात्राओं के लिए, टोल प्लाजा 1 और 2 पर 50 एकल यात्राओं के लिए अन्यथा देय राशि के एक तिहाई के बराबर ।
2.	दैनिक	टोल प्लाजा 1 पर, एक ही दिन में वापसी यात्रा के लिए एकल यात्रा की दर का डेढ़ गुना और टोल प्लाजा 2 पर प्रतिदिन 2 यात्राओं के लिए एकल यात्राओं की दर का डेढ़ गुना ।
3.	स्थानीय	कार / जीप / वैन स्थानीय उपयोगकर्ता अर्थात प्लाजा के 20 कि.मी. के दायरे के भीतर रहने वाले निवासियों के लिए रू. 150/- प्रतिमाह की दर से मासिक पास ।

(ग) निम्नलिखित श्रेणियों के वाहनों को प्रस्तावित टोल से मुक्त रखने का प्रस्ताव है :-

- भारत के राष्ट्रपति, भारत के उप-राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, केन्द्रीय मंत्री, राज्यपाल, उप-राज्यपाल, मुख्य मंत्री केन्द्रीय एवं राज्य विधायिकाओं के पीठासीन अधिकारी एवं विपक्ष के नेता, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश, राज्यों के मंत्री, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश और राज्य के दौरे पर आए विदेशी अभ्यागतों को सेवा प्रदान कर रहे और उनके साथ चल रहे सरकारी वाहन ।

- अर्धसैनिक बलों और पुलिस समेत वर्दी में केन्द्रीय एवं राज्य के सशस्त्र बलों तथा कार्यकारी दण्डाधिकारी के सरकारी वाहन ।

- पूरे देश में (कहीं के भी) सांसद, राज्य विधान परिषद के सदस्य और राज्य विधानसभा के सदस्य, अपने-अपने राज्यों में, जब वाहन में बैठे हों तब संसद या किसी राज्य की विधायिका द्वारा, जैसा भी मामला हो, जारी पहचान पत्र प्रस्तुत करने पर ।

- परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र जैसे पराक्रमी पुरस्कार विजेताओं से संबंधित वाहन बशर्ते कि ऐसा पुरस्कार विजेता ऐसे पुरस्कार के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणीकृत अपना फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करता है ।

- सीसी / सीडी नंबर प्लेटों वाले वाहन ।

- ऍम्बुलैंस, अग्निशामक गाड़ियां, और शव-वाहिनी गाड़ियां । और

- राजमार्ग का उसके निरीक्षण, सर्वेक्षण, निर्माण या प्रचालन तथा अनुरक्षण के लिए उपयोग करने वाले व्यक्तियों के वाहन ।

नोटःडाक-तार विभाग के वाहन और सरकारी ड्यूटी पर केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों के वाहन छूट-प्राप्त वाहनों के रूप में अर्हक नहीं होंगे।

(iii) वर्ष 2006-07 के लिए प्रस्तावित टोल दिसम्बर 2005 के थोक बाजार मूल्य सूचकांक पर आधारित है और उसे थो.मू.सू. के आधार पर प्रतिवर्ष संशोधित किया जाना है।

2.5. वीपीआरसीएल ने प्रस्तावित टोल की गणना का आधार भी प्रस्तुत किया है। हाल ही के यातायात अध्ययनों के आधार पर यह प्रस्तावित टोल की वसूली से वर्ष 2006-07 में 6.12 करोड़ रूपये का राजस्व उत्पन्न करने की उम्मीद की है।

3.1. निर्धारित परामर्शी प्रक्रिया के अनुसार, प्रस्तावित टोल ढांचे की गणना के आधार के साथ वीपीआरसीएल का प्रस्ताव वि.प.न्यास और सम्बद्ध एसोसिएशनों, पब्लिक यूटीलिटी आपरेटरों, सांविधिक प्राधिकारियों समेत प्रमुख उपयोगकर्त्ताओं को, उनका अभिमत जानने के लिए अग्रेषित कर दिया गया था।

3.2. सम्बद्ध उपयोगकर्त्ताओं द्वारा प्रस्तुत अभिमत वीपीआरसीएल को प्रतिपूरक सूचना के रूप में उसके अभिमत के लिए अग्रेषित किया गया था। तथापि वीपीआरसीएल उपयोगकत्ताओं के अभिमत पर अपना कोई अभिमत अभी तक नहीं दिया है।

4.1. प्रकरण को नव परामर्श प्रक्रिया पर लिया जा रहा था, वीपीआरसीएल ने प्राधिकरण से प्रस्तावित टोल अनुमोदित करने का अनुरोध किया था क्योंकि वह सड़क योजकता प्रकल्प को यातायात के लिए 1 दिसम्बर 2006 से खोलने की योजना बना रहा था। इसने, आरंभ में अपने प्रस्तावित टोल ढांचे में बहुत थोड़ा-सा समायोजन प्रस्तावित किया था। वाहनों की छूट-श्रेणी में कोई परिवर्तन / संशोधन प्रस्तावित नहीं था। वीपीआरसीएल द्वारा प्रस्तावित संशोधित टोल ढांचा नीचे सारणीबद्ध दिया गया है :-

1(क) अयप्पन मंदिर के पास मुख्य टोल प्लाजा पर टोल

(रूपयों में)

क्रम सं.	वाहनों का वर्ग / श्रेणी	एकल यात्रा दर	24 घंटे तक वैध वापसी यात्रा -दर
(i)	कार / जीप / वैन	10	15
(ii)	हल्के भारवाही वाहन (एलसीवी)	15	25
(iii)	ट्रक / बस	35	55
(iv)	एमएवी (3 से 6 धुरियों वाले)/ एचसीएम / ईएमई	55	85
(v)	अत्यधिक आकार वाले (सात या उससे अधिक धुरीवाले) वाहन	65	100

1(ख) कॉन्वैंट जंक्शन और रा.रा.-5 पर अयप्पन मंदिर के बीच (अयप्पन मंदिर के पास मुख्य टोल प्लाज़ा पर) स्थानीय यातायात / बारम्बार यात्रियों को रियायतों के साथ टोल।

(रूपयों में)

क्र. सं.	पास	कार / जीप / वैन	हल्के भार वाही वाहन	ट्रक / बस	एमएवी (3से 6 धुरी वाले) / एचसीएल / ईएमई	अत्यधिक आकार वाले (सात या अधिक धुरी वाले) वाहन
1.	मासिक पास (एक माह में 50 एकल यात्राओं के लिए अन्य या देय राशि के 1/3 के बराबर छूट के साथ)	335	500	1165	1835	2165
2.	दैनिक पास एक ही दिन में वापसी यात्रा एकल यात्रा की दर का 1.5 गुना	15	25	55	85	100
3.	माह के लिए स्थानीय पास (टोल प्लाज़ा के 20 कि.मी. के दायरे के निवासियों के लिए आवासीय सबूत और वाहन का स्वामित्व प्रमाण प्रस्तुत करने पर)	150	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

II.(क).'Y' जंक्शन के पास सैकेन्डरी टोल प्लाज़ा के लिए टोल

(रूपयों में)

क्रम सं.	वाहनों का वर्ग / श्रेणी	एकल यात्रा दर	24 घंटे तक वैध वापसी यात्रा -दर
(i)	कार / जीप / वैन	5	10
(ii)	हल्के भारवाही वाहन (एलसीवी)	10	15
(iii)	ट्रक / बस	20	30
(iv)	एमएवी (3 से 6 धुरियों वाले)/ एचसीएम / ईएमई	30	45
(v)	अत्यधिक आकार वाले (सात या उससे अधिक धुरीवाले) वाहन	35	55

II.(ख).कॉन्वैंट जंक्शन और 'Y' जंक्शन के बीच ('Y' जंक्शन के पास सैकेन्डरी टोल प्लाज़ा के लिए) स्थानीय यातायात / बारम्बार यात्रियों को रियायतों के साथ टोल।

(रूपयों में)

क्र. सं.	पास	कार / जीप / वैन	हल्के भार वाही वाहन	ट्रक / बस	एमएवी (3से6 धुरी वाले)/ एचसीएल / ईएमई	अत्यधिक आकार वाले (सात या अधिक धुरी वाले) वाहन
1.	मासिक पास (एक माह में 50 एकल यात्राओं के लिए अन्य या देय राशि के 1/3 के बराबर छूट के साथ)	165	335	665	1000	1165
2.	दैनिक पास (एक ही दिन में दो यात्राओं के लिए एकल यात्रा की दर का 1.50 गुना)	10	15	30	45	55
3.	माह के लिए स्थानीय पास (टोल प्लाज़ा के 20 कि.मी. के दायरे में रहने वाले निवासियों के लिए निवासी होने का प्रमाण और वाहन का स्वामित्व का प्रमाण प्रस्तुत करने पर)	150	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

4.2. वीपीटी और वीपीआरसीएल ने तदर्थ आधार पर लगाए जाने वाले टोल के संबंध में, 17 नवम्बर 2006 को प्रासंगिक उपयोगकर्त्ताओं के साथ बैठक का आयोजन कर विचार विमर्श किया । 17 नवम्बर 2006 को हुई बैठक में विचार विमर्श को नोट किया गया । वीपीआरसीएल द्वारा प्रस्तुत यह नोट दर्शाता है कि प्रासंगिक उपयोगकर्त्ताओं ने प्रस्तावित दरों को प्राधिकरण द्वारा अन्तिम रूप से निर्धारित किए जाने तक तदर्थ आधार पर लगाने के लिए, सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया है।

4.3. चूंकि परियोजना को यातायात के लिए 1 दिसम्बर 2006 से खोल देने का प्रस्ताव था, एक प्रशुल्क व्यवस्था को कायम करना आवश्यक हो गया था ताकि वीपीआरसीएल सुविधाओं को प्रचालित कर सके। जैसाकि प्रस्तावित तदर्थ दरें परस्पर सहमत दरें थीं, 6 माह की अवधि के लिए एक अन्तरिम व्यवस्था के रूप में प्रस्तावित तदर्थ दरों को अनुमोदित करते हुए इस प्राधिकरण ने एक आदेश सं. टीएएमपी / 47/2006-वीपीआरसीएल,28 नवम्बर 2006 को पारित किया। यह आदेश राजपत्र सं. 177 के माध्यम से भारत का राजपत्र में 1 दिसम्बर 2006 को अधिसूचित किया गया।

5.1. तदनन्तर, वीपीआरसीएल ने, इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित तदर्थ मासिक पास प्रणाली के संदर्भ से उपयोगकत्ताओं द्वारा उठाई जा रही कठिनाइयों का वर्णन किया। चूंकि अनेक उपयोगकर्त्ताओं को एक-एक दिन में अनेक चक्कर लगाने पड़ते थे, ये मासिक पास 4 से 5 दिन की अल्पावधि में ही हो जाते थे। 50 सीमित यात्राओं के साथ जारी किए गए मासिक

पास पूरे एक माह के लिए अपर्याप्त पाए गए। पत्तन उपयोगकर्त्ताओं द्वारा व्यक्त कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए, वीपीटी ने वीपीआरसीएल को असीमित यात्राओं के लिए पास जारी करने की सलाह दी। वीपीटी ने वीपीआरसीएल को, ड्यूटी पर सरकारी वाहनों को भी टोल-मुक्त करने की सलाह दी।

5.2. इस पृष्ठभूमि में, वीपीआरसीएल ने असीमित यात्राओं के लिए दैनिक / मासिक पास हेतु अलग दरें आरंभ करने का प्रस्ताव किया। एकल यात्रा के लिए अनुमोदित वर्तमान तदर्थ दर को आधार लिया गया है और असीमित यात्राओं हेतु दैनिक पास के लिए 6 यात्राओं क ी प्रस्तावित दर की गणना के लिए लागू की गयी है। इसी प्रकार, मासिक पास के लिए इसी सूत्र को 30 दिन प्रतिमाह के लिए लागू किया गया है। तदनुसार, असीमित यात्राओं हेतु पास जारी करने के लिए वीपीआरसीएल द्वारा प्रस्तावित टोल ढांचा नीचे सारणीरूप में दिया गया है :

अयप्पन मंदिर के पास मुख्य टोल प्लाज़ा पर

(रूपयों में)

क्रम सं.	पास	कार / जीप / वैन	हल्के भार वाही वाहन	ट्रक / बस	एमएवी (3से 6 धुरी वाले) / एचसीएल / ईएमई	अत्यधिक आकार वाले (सात या अधिक धुरी वाले) वाहन
1.	दैनिक पास (असीमित यात्राएं)	60	90	210	330	390
2.	मासिक पास(असीमित यात्राएं)	1800	2700	6300	9900	11700

‘Y‘ जंक्शन के पास सैकेन्डरी टोल प्लाज़ा पर

(रूपयों में)

क्रम सं.	पास	कार / जीप / वैन	हल्के भार वाही वाहन	ट्रक / बस	एमएवी (3से 6 धुरी वाले) / एचसीएल / ईएमई	अत्यधिक आकार वाले (सात या अधिक धुरी वाले) वाहन
4(क)	दैनिक पास (असीमित यात्राएं)	30	60	120	180	210
4(ख)	मासिक पास(असीमित यात्राएं)	900	1800	3600	5400	6300

5.3. वाहनों की टोल-मुक्त श्रेणी की वर्तमान सूची के अतिरिक्त वीपीआरसीएल ने, भा.रा.रा.प्राधि. की संशोधित नीति लागू होने तक, ड्यूटी पर सरकारी वाहनों को टोल से छूट देने का प्रस्ताव किया है। इसने यह भी उल्लेख किया है कि सैकेन्डरी टोल प्लाज़ा में, दैनिक पास दो यात्राओं के लिए है न कि वापसी यात्रा के लिए जैसाकि 1 दिसम्बर 2006 को अधिसूचित अन्तरिम प्रशुल्क में उल्लेख किया गया है और इसलिए विवरण को तदनुसार ठीक किए जाने की आवश्यकता है।

5.4. असीमित यात्राओं के लिए पास जारी करने हेतु इसके प्रस्ताव के संदर्भ में वीपीआरसीएल को कुछ बिन्दुओं पर अतिरिक्त सूचना / स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था। वीपीआरसीएल द्वारा प्रस्तुत किए गए स्पष्टीकरण संक्षेप में नीचे दिए गए हैं :-

(i) भा.रा.रा.प्राधि. की वर्तमान नीति के अनुसार, भाराराप्राधि वित्त पोषित परियोजनाओं के लिए दैनिक और मासिक असीमित पास एकल यात्रा दर के क्रमशः 1.5 गुना और 30 गुना की दर से प्रदान किए जाते हैं। तथापि यह सुविधा बीओटी परियोजनाओं के लिए उपलब्ध नहीं हैं।

(ii) हमारे इस प्रश्न के उत्तर में कि असीमित यात्राओं के लिए पास हेतु प्रस्तावित दर की गणना हेतु हमारे आदेश में निर्धारित रियायती टोल स्थान पर एकल यात्राओं के लिए अनुमोदित अंतरिम दर को आधार क्यों माना गया है, वीपीआरसीएल ने स्पष्ट किया है कि 15 दिसम्बर 2006 से 31 दिसम्बर 2006 तक लिए गए टोल डाटा के आधार पर प्रतिदिन अनेक फेरे लगाने वाले उपयोगकर्त्ताओं द्वारा प्रतिदिन औसतन 5 से 7 यात्राएं की जाती हैं। चूंकि प्रस्ताव प्रतिदिन औसतन 6 यात्राओं की तुलना में असीमित यात्रा अनुमत करने देने का है, प्रस्तावित दरों की गणना करते समय वापसी यात्रा और मासिक पास के लिए अन्यथा उपलब्ध रियायतों पर विचार नहीं किया गया है। इसने तर्क दिया है कि असीमित यात्रा करने देना अपने आप में एक रियायत हैं।

(iii) इस समय, भा.रा.रा.प्राधि. ड्यूटी पर केन्द्रीय और राज्य सरकारी वाहनों को उपयोगकर्त्ता शुल्क के भुगतान से छूट प्रदान करता है । किन्तु इस नीति की समीक्षा की जा रही है और ऐसी उम्मीद है कि इस छूट को वापिस लिया जा सकता है, तथापि इसने अनुरोध किया है कि भा.रा.रा.प्राधि. की नई नीति को लम्बित रखते हुए, ड्यूटी पर सरकारी वाहनों को इस लेवी से छूट प्रदान करने के इसके प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया जाए।

5.5. असीमित पासों / असीमित यात्राओं के लिए पास हेतु वीपीआरसीएल से प्राप्त को वीपीटी को उसके विशिष्ट अभिमत के लिए भेजा गया था। वीपीटी ने प्रस्ताव का समर्थन किया है और कहा है कि यात्राओं की संख्या पर पाबन्दी के बिना असीमित दैनिक और मासिक यात्राओं के लिए पास जारी करने का पत्तन उपयोगकर्त्ताओं का अनुरोध वाज़िब है क्योंकि उन्हें दो टोल प्लाजाओं के बीच नियमित रूप से आना जाना है। इसने सूचित किया है कि वीपीआरसीएल के प्रस्ताव पर सम्बद्ध उपयोगकर्त्ताओं से विचार विमर्श किया गया जिन्होंने, इस प्राधिकरण द्वारा अन्तिम दरें निर्धारित किए जाने तक अन्तरिम अवधि के लिए असीमित दैनिक /

मासिक पासों हेतु तदर्थ टोल दरों से सहमति व्यक्त की है । अतएव, वीपीटी ने इस प्राधिकरण से प्रस्तावित दरों को अनुमोदन प्रदान करने का अनुरोध किया है । इसने यह भी निवेदन किया है कि वीपीआरसीएल बोर्ड ने (वीपीटी और भा.रा.रा.प्राधि. के प्रतिनिधियों से युक्त) ने ड्यूटी पर सरकारी वाहनों को छूट प्रदान करना वांछनीय माना है ।

5.6. चूंकि वीपीटी ने वीपीआरसीएल के प्रस्ताव का समर्थन कर दिया था और उसने प्रस्तावित दरो को उचित पाया है और इस बात को स्वीकार करते हुए कि उपयोगकर्त्ताओं ने एक अन्तरिम अवधि के प्रस्तावित तदर्थ दरों के प्रति परस्पर सहमति व्यक्त कर दी है, इस प्राधिकरण ने, अन्तिम दरों के निर्धारण तक एक अन्तरिम प्रशुल्क व्यवस्था के रूप में असीमित यात्राओं के लिए पास जारी करने हेतु प्रस्तावित तदर्थ दरों को अनुमोदन प्रदान करते हुए आदेश सं. टीएएमपी /47/2006-वीपीआरसीएल दि. 12 जनवरी 2007 को पारित किया । सरकारी वाहनों को छूट प्रदान करने के सम्बन्ध में, वीपीआरसीएल को, वाहनों की इस श्रेणी को छूट प्रदान करने के लिए भारारාप्राधि. द्वारा अपनाई गई नीति का अनुसरण करने की सलाह दी गई थी क्योंकि सरकारी वाहनों को छूट प्रदान करने की भा.रा.रा.प्राधि. की नीति बीओटी परियोजनाओं के लिए समीक्षा के अधीन है, इस प्राधिकरण द्वारा 12 फरवरी 2007 को पारित आदेश भारत का राजपत्र में 24 फरवरी 2007 को अधिसूचित किया गया था ।

6.1. इस प्रकरण में, विशाखापत्तनम् पत्तन न्यास परिसर में 12 जून 2007 को एक संयुक्त सुनवाई रखी गई थी । इस संयुक्त सुनवाई में विशाखापत्तनम् पोर्ट रोड कम्पनी लिमिटेड (वीपीआरसीएल) ने परियोजना के विवरण को विस्तार से बताया है और टोल लगाने के लिए अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया । संयुक्त सुनवाई में वीपीआरसीएल और सम्बद्ध उपयोगकर्त्ताओं ने अपने-अपने पक्ष रखे । संयुक्त सुनवाई में विशाखापत्तनम् स्टीवेडोर्स एसोसिएशन ने अपना पक्ष लिखित रूप में रखा ।

6.2. जैसा कि संयुक्त सुनवाई में निर्णय लिया गया था, विशाखापत्तनम् पोर्ट कंपनी लिमिटेड (वीपीआरसीएल) को ऐसे समुचित दस्तावेजों प्रमाण प्रस्तुत करने की सलाह दी गई जो यह सिद्ध करे कि वीपीआरसीएल द्वारा अपनायी गयी टोल संरचना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा अनुपालित, बीओटी परियोजनाओं के लिए प्रयोज्य राष्ट्रीय नीति के अनुरूप है । वीपीआरसीएल को अपने पिछले प्रस्ताव में, टोल प्रभारों में वार्षिक वृद्धि निर्धारित करने हेतु विवेचित संशोधित सूत्र को ध्यान में रखते हुए, परिवर्तन करने दिया गया था ।

6.3. वीपीआरसीएल ने संयुक्त सुनवाई में उठाए गए बिन्दुओं का उत्तर दिया है, वीपीआरसीएल द्वारा प्रस्तुत मुख्य बातें, संक्षेप में निम्नानुसार हैं :-

(i) यह सिद्ध करने के लिए कि वीपीआरसीएल द्वारा अपनाया गया प्रस्तावित टोल ढांचा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा, बीओटी परियोजनाओं के लिए अनुप्रयोज्य राष्ट्रीय नीति के अनुरूप है, हमारे द्वारा मांगे गए दस्तावेजी समर्थन के संदर्भ में इसने राष्ट्रीय राजमार्ग नियम 1997 की निम्नलिखित धारा 2 (राष्ट्रीय राजमार्ग पर राष्ट्रीय राजमार्ग / स्थायी पुल /

अस्थाई पुल के एक खंड के उपयोग के लिए किसी व्यक्ति द्वारा शुल्क वसूल किए जाने का संदर्भ दिया है। ''ऐसे समग्र खंड या उसके भाग के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन पर होने वाले व्यय, निवेश की गई पूंजी पर ब्याज, समुचित आमदनी, यातायात की मात्रा और ऐसे करार की अवधि को ध्यान में रखते हुए शुल्क की दरें और वसूली की अवधि सुनिश्चित की जाएगी और केन्द्रीय सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएंगी।''

(ii) इसने टोल ढांचे पर संदर्भ के लिए समान परियोजनाओं से संबंधित, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित तीन अधिसूचनाओं, राष्ट्रीय राजमार्ग-24 पर मुरादाबाद (18जून 2001 को अधिसूचित), अहमदाबाद-बडोदरा द्रुतगति मार्ग (23 सितम्बर 2003 को अधिसूचित) और रा.राज मार्ग-2 पर हुगली नदी के आरपार बने द्वितीय विवेकानंद सेतु (25 नवंबर 2005 को अधिसूचित) का संदर्भ दिया है।

(iii) टोल से महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण को प्रस्तावित राजस्व 6.12 करोड़ रूपये अपेक्षित था अर्थात वर्ष 2006 में 1.68 लाख रूपये प्रतिदिन। किन्तु महा.प्र.प्राधि.द्वारा अनुमोदित तदर्थ दरों पर पिछले 6 माह के संग्रह के आधार पर टोल राजस्व रू. 95,000 /= प्रतिदिन ही हो पाया, जो अनुमानित टोल राजस्व से बहुत कम है। अतएव, टोल-राजस्व बढ़ाने के लिए यह वीपीटी से परामर्श कर रहा है।

(iv) टोल प्रभारों में वार्षिक वृद्धि निर्धारित करने हेतु सूत्र के बारे में इसने स्पष्ट किया है कि नई राष्ट्रीय राजमार्ग टोल नीति की विधि मंत्रालय द्वारा समीक्षा की जा रही है। केन्द्र सरकार द्वारा कथित नीति अनुमोदित कर दिए जाने के तुरंत बाद एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा।

7. इस प्रकरण में परामर्श से संबंधित कार्यवाही इस प्राधिकरण के कार्यालय में रिकार्ड पर उपलब्ध हैं। प्राप्त अभिमतों और संबद्ध पक्षों द्वारा रखे गए तर्कों का सारांश प्रासंगिक पक्षों को अलग से भेज दिया जाएगा। ये ब्यौरे हमारे वेब साइट http://tariffauthority.gov.in पर भी उपलब्ध करवाया जाएगा।

8. इस प्रकरण पर कार्रवाई करने के दौरान संग्रहित सूचना की समग्रता के संदर्भ से निम्नलिखित स्थिति उभर के आती है :-

(i) विचाराधीन प्रस्ताव विशाखापत्तनम् पत्तन को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने वाले इस प्रयोजन के लिए सृजित एक विशेष प्रयोजन निकाय विशाखापत्तनम् पोर्ट रोड कम्पनी लिमिटेड (वीपीआरसीएल) द्वारा प्रचलित, नवनिर्मित जोड़ मार्ग / उड्डान पुल के लिए टोल की अंतिम दरें निर्धारित करने हेतु है। चूंकि वीपीआरसीएल को महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 की धारा 42 के अन्तर्गत वीपीटी द्वारा लाइसैंस प्रदान किया गया है, इस प्राधिकरण के सामने प्रस्ताव प्रभार निर्धारित करने के लिए ही है।

(ii) प्रस्तावित टोल पर, इस प्राधिकरण द्वारा तदर्थ अनुमोदन हेतु 17 नवंबर 2006 को उनके द्वारा बुलाई गई बैठक में वीपीआरसीएल और वीपीटी के बीच विचार विमर्श हुआ था। विचार विमर्श का रिकार्ड किया विवरण सम्बद्ध उपयोगकर्त्ताओं द्वारा, प्रस्तावित दरों की तदर्थ आधार पर स्वीकृति की पुष्टि करता है। यहां तक कि वीपीटी ने प्रस्ताव का समर्थन किया है।

चूंकि यह एक परस्पर स्वीकृत दर थी, प्रस्तावित टोल ढांचे को इस प्राधिकरण द्वारा आदेश सं. टीएएमपी / 47/2006-वीपीआरसीएल, जो 1 दिसम्बर 2006 को अधिसूचित किया गया, छः माह की अंतरिम अवधि के लिए तदर्थ आधार पर अनुमोदित किया गया था। तत्पश्चात्, उन उपयोगकर्त्ताओं द्वारा जो बार-बार यात्रा करते थे प्रस्तुत किए गए अभ्यावेदनों के आधार पर, वीपीआरसीएल ने असीमित यात्राओं के लिए मासिक /दैनिक पास जारी करने के लिए अलग टोल प्रस्तावित किया था। चूंकि ये दरें भी सम्बद्ध उपयोगकर्त्ताओं के साथ परस्पर स्वीकृत दरें थी, और यह मानते हुए कि वीपीटी ने प्रस्ताव का समर्थन कर दिया है, असीमित यात्राओं के लिए मासिक /दैनिक पास जारी करने हेतु अलग टोल, इस प्राधिकरण द्वारा आदेश सं. टीएएमपी /47/2006-वीपीआरसीएल के माध्यम से 24 फरवरी 2007 को अधिसूचित किया गया था।

(iii) जैसाकि इससे पहले उल्लेख किया जा चुका है, इस प्राधिकरण द्वारा तदर्थ आधार पर अनुमोदित प्रस्तावित टोल वीपीआरसीएल द्वारा, जोड़ मार्ग / उड्डान पुल उपयोगकर्त्ताओं के लिए खोल दिए जाने के बाद 6 माह से भी अधिक समय से लगाया जा रहा है, विशाखापत्तनम् स्टीवेडोर्स एसोसिएशन (वीएसए) द्वारा सरसरी तौर पर की गई एक टिप्पणी के अलावा टोल ढांचे पर सम्बद्ध उपयोगकर्त्ताओं की ओर से कोई बिन्दुवार / तीखी अपत्ति नहीं आई है, सरसरी टिप्पणी भी यह है कि टोल ढांचा भा.रा.रा.प्राधि. की नीति के अनुरूप नहीं है। उसने अपने दावे की किसी दस्तावेजी सबूत के साथ पुष्टि नहीं की है। वीएसए ने इस प्रयोजन के लिए प्रस्तावित टोल की विशाखापत्तनम् में कुछ अन्य राष्ट्रीय राजमार्गों पर लागू टोल से तुलना की है।

परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए विशेष प्रयोजन निकाय (एसपीवी) को मान्यता देनी होगी अर्थात, वीपीआरसीएल, भा.रा.रा.प्राधिकरण (एनएचएआई) और वीपीटी के बीच संयुक्त क्षेत्र की कम्पनी है और दोनों ही सरकार के अन्तर्गत सांविधिक प्राधिकरण हैं। प्रथम दृष्टया इस प्राधिकरण के पास यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि ये निकाय / संगठन सरकार की लागू नीति और अनुदेशों के विपरीत आचरण करेंगी।

वीपीआरसीएल ने राष्ट्रीय राजमार्ग के किसी भाग / राष्ट्रीय राज मार्ग पर बने स्थायी पुल / अस्थाई पुल के उपयोग के लिए किसी व्यक्ति द्वारा शुल्क की उगाही पर राष्ट्रीय राज मार्ग नियम, 1997 खंड-2 का संदर्भ दिया है, जो स्पष्ट करता है कि शुल्क की दरें और उगाही की अवधि का निर्णय ऐसे समग्र खंड या उसके किसी भाग के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन में आयी लागत, निवेशित पूंजी पर ब्याज, समुचित आमदनी, यातायात की मात्रा और ऐसे करार

की अवधि को ध्यान में रखकर लिया जाएगा। अन्य स्थानों पर, बीओटी आधार पर प्रचालित परियोजनाओं के लिए, वीपीआरसीएल द्वारा अग्रेषित, पोत परिवहन -सड़क यातायात और राजमार्ग मंत्रालय के तीन आदेश स्पष्ट करते हैं कि तीनों परियोजनाओं के लिए वाहन की एक विशेष श्रेणी हेतु प्रति किलो मीटर दर भिन्न है । यह अन्तर / भिन्नता निवेश के भिन्न स्तर, प्रचालन और अनुरक्षण लागत और यातायात में भिन्नता के कारण आयी होगी। इसलिए, वीएस द्वारा टोल की, की गई तुलना पूरी तरह प्रासंगिक नहीं पाई गई।

यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि वीपीआरसीएल ने भा.रा.रा.प्राधि. द्वारा अपने जिम्मे ली गई यातायात अध्ययन की रिपोर्ट और प्रस्तावित टोल की विस्तृत गणना अग्रेषित कर दी है । सम्बद्ध उपयोगकर्त्ताओं के साथ एक बैठक में इसने इस बात की पुष्टि की है कि प्रस्तावित टोल ढांचा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नियमों पर आधारित है ।

इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह प्राधिकरण पहले अनुमोदित की गई तदर्थ दरों को अन्तिम दरों के रूप में अनुमोदित करना चाहता है ।

(iv) सूचित किया गया है कि टोल प्रभारों में वार्षिक वृद्धि निर्धारित करने हेतु सूत्र को भा.रा.रा.प्राधि. द्वारा अन्तिम रूप दिया जा रहा है । वीपीआरसीएल को, भा.रा.रा.प्राधि. द्वारा जब भी सूत्र (फार्मूला) अनुमोदित किया जाता है, टोल में वार्षिक वृद्धि लागू करने हेतु अलग प्रस्ताव लेकर आने की अनुमति दी गई है ।

(v) वीपीआरसीएल ने, टोल प्रभार लगाने से छूट दिए जाने के लिए व्यापक रूप से भाराराप्राधि के मागदर्शियों / नीतियों के आधार पर वाहनों की एक सूची प्रस्तावित की है ।

तथापि, वीपीआरसीएल के आरम्भिक प्रस्ताव में डाक तार विभाग के वाहनों और डयूटी पर केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के वाहनों को टोल के भुगतान से छूट नहीं दी गई थी । विशाखापत्तनम में केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के कार्यालयों से तथा डाक-तार विभाग से डयूटी पर कार्यरत उनके वाहनों को टोल के भुगतान से मुक्ति प्रदान करने हेतु अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे । ईस्ट नेवल कमांडबेस ने आवेदन दिया था कि सेनाओं और रक्षा बलों के सभी वाहनों को, फिर वो डयूटी पर हैं या नहीं, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के निदेशों के अनुसार टोल के प्रभार से छूट दी जानी चाहिए ।

राज्य /केन्द्र सरकार के कार्यालयों द्वारा रखी गई मांग को वीपीआरसीएल द्वारा भी वाजिब पाया गया है । अतएव, इसने डयूटी पर राज्य / केन्द्र सरकार के वाहनों को, भा.रा.रा.प्राधि. की संशोधित नीति को अन्तिम रूप दिए जाने तक टोल से मुक्त रखने पर स्वीकृति प्रदान कर दी है । राष्ट्रीय राजमार्ग नियम 1997 (राष्ट्रीय राजमार्ग के खंड/राष्ट्रीय राजमार्ग पर बने स्थायी पुल/अस्थाई पुल के उपयोग हेतु किसी व्यक्ति द्वारा शुल्क की उगाही) और पोत परिवहन, सड़क-परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा अनुमोदित टोल संबंधी राजपत्र

अधिसूचनाएँ डयूटी पर राज्य/केन्द्र सरकार के वाहनों को टोल प्रभार से छूट प्रदान करते हैं ।

भा.रा.रा.प्राधि. नियमों में विशिष्ट स्थिति के मददे नज़र और समान परियोजनाओं के लिए पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा अधिसूचित आदेशों से प्राप्त स्थिति के आधार पर डयूटी पर राज्य / केन्द्र सरकार के वाहनों तथा रक्षा संबंधी वाहनों को टोल प्रभार से मुक्त रखने की आवश्यकता है । इन प्रविष्टियों को सम्मिलित करने के लिए, इस प्राधिकरिण द्वारा दिनांक 28 नवम्बर 2006 के अपने आदेश द्वारा अधिसूचित, शुल्क-मुक्त वाहनों की सूची को उपयुक्त रूप से संशोधित करने की आवश्यकता है । वीपीआरसीएल को सलाह दी जाती है कि वह वाहनों की विशिष्ट श्रेणी को टोल-प्रभार से छूट प्रदान करने के लिए भा.रा.रा.प्राधि. द्वारा अपनाई गई वर्तमान नीति का ही अनुसरण करे ।

(vi) छ: माह की अन्तरिम अवधि के लिए इस प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त तदर्थ अनुमोदन पहले ही समाप्त हो गया है । अन्तिम दर के निर्धारण के अभाव में वीपीआरसीएल ने तदर्थ दरों को लगाना ही जारी रखा है । चूंकि अन्तिम दर पहले अनुमोदित तदर्थ दरों की पुष्टि मात्र ही है, अंतिम दरों को विभिन्न आदेशों के क्रियान्वयन की तिथि के पिछले प्रभाव से प्रभावी हुआ मान लिया जाता है ।

9. परिणामस्वरूप और ऊपर दिए गए कारणों से, तथा समग्र विचार विमर्श के आधार पर, यह प्राधिकरण 1 दिसम्बर 2006 और 24 फरवरी 2007 को अधिसूचित आदेशों के माध्यम से अनुमोदित तदर्थ टोल की अन्तिम दरों के रूप में, इस बारे में भाराराप्राधि की प्रचलित नीति के अनुसार छूट प्राप्त वाहनों की सूची में सुधार करने की शर्त पर, पुष्टि करता है ।

(अ.ल. बोंगिरवार)

अध्यक्ष